



पत्र सं- 1193

/ नि०प्र०-24/2023/वा०नि०-5/43

दिनांक- 04.06.2024

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत

स्वीकृति पत्र (क्रय योग्य एफ०ए०आर०)

सेवा में,

डायरेक्टर/ प्राधिकृत हस्ताक्षरी

मैसर्स प्रतीक रियलटर्स इण्डिया प्रा० लि०,

कापरिट ऑफिस प्रतीक प्रो०-मेनाग, ए-42, सेक्टर-67,

नोयडा, उ०प्र०(201301)

विषय:- बल्कसेल भूखण्ड संख्या-4/बी०एस०-1 एवं 4/बी०एस०-5(एकजाई), सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के क्रय योग्य एफ०ए०आर० (50.0 प्रतिशत) के मानचित्र स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बल्क सेल भूखण्ड संख्या-4/बी०एस०-1 एवं 4/बी०एस०-5(एकजाई), सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद पर क्रय योग्य एफ०ए०आर० के निर्माण हेतु ऑनलाईन आवेदन संख्या- UPAVP/BP/22-23/1428 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से क्रय योग्य एफ०ए०आर० मानचित्र व सुविधाओं के संशोधित मानचित्र की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्रय योग्य एफ०ए०आर० स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन के क्रम में क्रय योग्य एफ०ए०आर० समिति की बैठक दिनांक-17.08.2023 द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त 50 प्रतिशत क्रय योग्य एफ०ए०आर० अनुमन्य किया गया है।

आवास आयुक्त (म०) की अध्यक्षता में दिनांक-06.10.2023 को उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध आप द्वारा उ० प्र० शासन में की गई अपील पर शासन द्वारा सुनवाई के उपरान्त अपर मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 ने अपने कार्यालय जाप संख्या-3045/8-2-2023-22-23/2023 दिनांक-09 जनवरी 2024 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में बिन्दु संख्या-7 पर परिषद अधिनियम की सन्दर्भित धारा-92 (2) के अधीन शासन के निर्देश के अनुक्रम में परिषद द्वारा निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये:-

- (1) आवंटी में प्रतीक रियलटर्स इण्डिया प्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत मानचित्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा क्रय योग्य एफ०ए०आर० सहित नियमानुसार स्वीकृत कर दिया जाये।
- (2) भूखण्ड विकासकर्ता को लीज पर दिया गया है तथा भूमि का स्वामित्व परिषद के पास ही है। क्रेता के पक्ष में परिषद एवं विकासकर्ता द्वारा त्रिपक्षीय रजिस्ट्री किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार सभी ट्रांजेक्शन आवास एवं विकास परिषद की जानकारी में होते हैं। अतएव परिषद तथा आवंटी द्वारा एस्करो खाता खोलकर संचालित किया जाये। मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त बुकिंग विक्री आदि मदों में क्रेता से विकासकर्ता को प्राप्त होने वाली सभी धनराशि में से, परिषद एवं विकासकर्ता की आपसी सहमति से निश्चित की जाने वाली धनराशि (समानुपातिक प्रतिशत) परिषद पक्ष में स्वतः अंतरित होती रहे।
- (3) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को प्राप्त होने वाली उक्त समानुपातिक धनराशि परिषद द्वारा आवंटी की अर्द्धवार्षिक किश्तों में समायोजित कर ली जाय। यदि निर्धारित किश्त से कम धनराशि खाते में प्राप्त होती है, तो आवंटी किश्त की अवशेष धनराशि निर्धारित तिथि को जमा कराये जायेगी। इसी प्रकार यदि किश्त की धनराशि से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती है, तो उसे परिषद द्वारा आगामी किश्तों में समायोजित कर लिया जायेगा।

For Prateek Realtors India Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

- (4) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-3267/8-1-16-80विविध/10 दिनांक-24.10.2016 की व्यवस्थानुसार ई.डब्लू.एस./ एल.आई.जी. के भवन निर्माण के सापेक्ष देय बैंक गारण्टी के स्थान पर विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में बंधक रखी जाने वाली समानुपातिक भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी ताकि विकासकर्ता द्वारा योजना के समस्त विकास एवं निर्माण एकीकृत एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- (5) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूखण्ड के मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र एक साथ निर्गत करने के स्थान पर टावर वाईज भूमि के सापेक्ष धनराशि की प्राप्ति के समानुपात में निर्गत किया जाये।

उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-7 के अनुसार, अनुपालन हेतु परिषद की 265वीं बोर्ड बैठक दिनांक-05.03.2024 में प्रस्ताव मद संख्या-265/11 पर प्रस्तुत किया गया। बोर्ड बैठक में पारित निर्णय के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त(म०) की अध्यक्षता में दिनांक-04.04.2024 को आहूत उच्च स्तरीय समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिया गया कि:-

- क- बिन्दु संख्या-7 (1) के अनुपालन में संशोधित ले-आउट अनुमोदन के उपरान्त क्रय योग्य एफ०ए०आर०के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति हेतु समस्त देय शुल्कों के नियमानुसार जमा कराये जाने के उपरान्त ऑनलाइन निर्गत किया जाये। चूँकि सम्पूर्ण भूखण्ड पर पूर्व में 2.5 एफ०ए०आर०का मानचित्र स्वीकृत है तथा वर्तमान में पूर्व स्वीकृत मानचित्र ले-आउट में संशोधन यथा प्रस्तावित ब्लाकों के आन्तरिक विन्यास में परिवर्तन, योजना के अन्तर्गत मापों तथा व्यवसायिक प्रस्ताव का परिवर्तन आवंटी / विकासकर्ता द्वारा किया गया है। पूर्व स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष, वर्तमान प्रस्ताव को विस्तृत तकनीकी विवरण सहित ले-आउट प्लान सक्षम स्तर-आवास आयुक्त के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।
- ख- बिन्दु संख्या-7 (2) व (3) के सम्बन्ध में अनुपालन की कार्यवाही सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- ग- बिन्दु संख्या-7 (4) व (5) के अनुपालन हेतु निर्णय लिया गया कि भविष्य में टावरों के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन स्थल पर ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के समानुपातिक निर्माण होने व उक्त की खण्ड कार्यालय से स्थल आख्या व सम्पत्ति कार्यालय की देयता सम्बन्धी अद्यावधिक भुगतान सम्बन्धी रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त ही स्वीकार / मान्य होंगे।

उपरोक्त निर्णय के क्रम में निम्न कार्यवाही की गई:-

- I. बिन्दु संख्या-(क) के अनुपालन में शासन निर्देश के बिन्दु-7(1) के क्रम में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित ले-आउट मानचित्र आवास आयुक्त(म०) द्वारा पत्रांक-11.92.....दिनांक-04.06.24को स्वीकृत किया गया है।
- II. बिन्दु संख्या-ख के अनुपालन में शासन निर्देश के बिन्दु-7(2) के क्रम में सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक-1729 दिनांक-10.05.2024 के माध्यम से एस्करो खाता खोलकर संचालित किये जाने की सूचना उपलब्ध करायी गई है।
- III. बिन्दु संख्या-7(3) व (5) के क्रम में आप द्वारा समयान्तर्गत निर्धारित किशतों का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुश्रवण सम्पत्ति कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- IV. बिन्दु संख्या-ग के अनुपालन में शासन निर्देश के बिन्दु संख्या-7(4) के क्रम में कार्यालय को प्रस्तुत संशोधित ले-आउट प्लान मानचित्र में ई०डब्लू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों के निर्माण के सापेक्ष देय बैंक गारण्टी के स्थान पर विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में बंधक रखी जाने वाली समानुपातिक 15491.65 वर्ग मी० भूमि (ABCDEFGHI & A) के रूप में चिन्हांकित कर दी गई है, जिस पर निर्माण करने की अनुमति होगी।

For Prateek Realtors India Pvt. Ltd.



1/11/24



उक्त अनुमति / अनुमोदन के क्रम में एतद्वारा निम्न शर्तों के अधीन परिषद नियमानुसार निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत है, जिसका अनुपालन स्थल पर किया जाना है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. यह मानचित्र स्वीकृति क्रय योग्य एफ०ए०आर० 1.25 के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण अनुमति हेतु है जिसका विवरण निम्न है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक-०५-०६-२०२५ से दिनांक-०३-०६-२०२९ तक होगी।

क- सम्पूर्ण 1275241.39 वर्ग मी० के निर्माण क्षेत्रफल हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल 154916.51 वर्ग मी० पर किया जाना है, जिसमें 803894.26 वर्ग मी० पूर्व स्वीकृत तथा 471347.13 वर्ग मी० वर्तमान में स्वीकृत किया जा रहा है।

ख- आवासीय 2316 नग इकाईयों 2 बेसमेंट+भूतल +32 तलों के निर्माण की स्वीकृति। परियोजना में कुल 6824 नग इकाईयाँ हैं।

क्रमांक	टावर का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	फ्लैटों की संख्या
1	B-1	19458.30	174
2	B-2	32344.21	256
3	B-3	29399.97	232
4	B-4	19309.60	174
5	B-5	27917.52	256
6	B-6	29307.04	232
7	BI-7	21789.51	128
8	BI-8	21789.51	128
9	BI-9	22378.55	128
10	BI-10	22378.55	128
11	B-11	27171.85	256
12	B-12	28470.56	224
	योग	301715.17	2316
13	बेसमेंट (अपर)	42927.10	--
	बेसमेंट (लोअर)	42927.10	--
	योग	85854.20	--

क्रमांक	सुविधायें	क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	फ्लैटों की संख्या
14	ई०डब्ल्यूएस० एवं एल०आई०जी०	57669.13	(684+684) =1368 नग
15	स्कूल-01	22401.86	--
16	पुलिस चौकी	633.05	--
17	कम्युनिटी-2	3073.72	--
	योग	83777.76	

3. दो बेसमेंट में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर में आगणित नहीं किया गया है।
4. परिषद पक्ष में बंधक रखी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी ताकि विकासकर्ता द्वारा योजना के समस्त विकास एवं निर्माण कार्य एकीकृत एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने सुनिश्चित हो सके, जिसके लिये बन्धक पत्र निष्पादन की कार्यवाही अलग से सुनिश्चित की जायेगी। चिन्हांकित बंधक भूमि का विवरण निम्नवत है:-
 (क) शासनादेश संख्या-3267/8-1-16-80 विविध दिनांक-24.10.2016 के प्रस्तर 2(IV)/अ के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. भवनों के सापेक्ष देय बैंक गारण्टी के स्थान पर विकासकर्ता द्वारा परफार्मेंस गारण्टी के रूप में योजना के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भूमि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में पूर्व में बन्धक रखी है जो ले-आउट में 15491.65 वर्ग मी० भूमि (ABCDEFGHI & A के रूप में) चिन्हांकित है।
 (ख) 75 प्रतिशत अवशेष क्रय योग्य एफ०ए०आर०शुल्क के सापेक्ष 25561.23 वर्ग मी० भूमि (G,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,E,F & G के रूप में) चिन्हांकित है।
5. उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-06.10.2023 के निर्णय के अनुसार अवशेष भूमि मूल्य के सापेक्ष समानुपातिक भूमि बंधक के स्थान पर शासन के निर्देशानुसार परिषद व आवंटी द्वारा एस्करो खाता खोलकर संचालित किया जाये, के अनुपालन में सम्पत्ति प्रबन्धक, गाजियाबाद ने कार्यालय पत्रांक-1729 दिनांक-10.05.2024 के माध्यम विकासकर्ता संस्था द्वारा एस्करो खाता (संख्या-50200022386611, एच.डी.एफ.सी. बैंक लि०, इंदिरापुरम्, गाजियाबाद, खाता धारक का नाम " M/S PRATEEK REAL INDIA P.L. A/C LAND PAY ESCROW") खोला गया है। मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त बुकिंग विक्री आदि मदों में क्रेता से विकासकर्ता को प्राप्त होने वाली सभी धनराशि में से, परिषद एवं विकासकर्ता की आपसी सहमति से निश्चित की जाने वाली धनराशि (समानुपातिक प्रतिशत) परिषद पक्ष में स्वतः अंतरित होती रहे, का दायित्व विकासकर्ता का होगा।
6. भूखंड पर निर्मित व भविष्य में निर्मित होने वाले टावरों के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु स्थल पर ई०डब्ल्यू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों के समानुपातिक निर्माण होने की दशा व संपत्ति कार्यालय से भूमि के देयता संबंधी अध्यावधिक भुगतान व समय वृद्धि संबंधी आख्या प्राप्त होने की दशा में आवेदन किया जा सकेगा, अन्यथा की दिशा में आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
7. निर्धारित समयावधि में ही स्थल पर निर्माण कार्य हो सकेगा अन्यथा की दशा निर्माण कार्य रोकने की कारवाई जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता - गाजियाबाद की होगी।
8. भूखंड के सापेक्ष देय धनराशि व समयवृद्धि इत्यादि के संबंध में समयान्तर्गत भुगतान सुनिश्चित करने के कारवाई संपत्ति प्रबंधक -गाजियाबाद द्वारा सुनिश्चित की जाए।
9. विकासकर्ता को किसी भी टावर के पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत कराया बिना किसी भी टावर/फ्लैट में अध्याशियों को कब्जा देने व अध्यासन कराए जाने की अनुमति नहीं होगी, जिसका अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित किए जाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता की होगी।
10. विकासकर्ता द्वारा कार्यालय को दिए गए शपथ पत्र दिनांक 30 मई 2024 के अनुसार 6824 फ्लैटों के सापेक्ष 684 नग ई०डब्ल्यू०एस० व 684 नग एल०आई०जी० भवनों का स्थल पर क्रियान्वयन, रेरा पंजीकरण, चरणवार व समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार स्थल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की कारवाई संबंधित खंड द्वारा की जाएगी।
12. स्वीकृत मानचित्र निर्गमन की तिथि से 01 माह की अवधि में उप आवास आयुक्त, मेरठ जोन द्वारा शर्त संख्या-04 के अनुपालन में बंधक पत्र निष्पादन की कार्यवाही कराते हुये इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा।

For Prateek Realtors India Pvt. Ltd.





13. इन्वारमेंट क्लीरेंस (EC) प्रमाण-पत्र मानचित्र स्वीकृति से 06 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा।
14. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-2, गाजियाबाद द्वारा स्थल पर निर्माण उसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि आवंटी द्वारा प्रश्नगत भूमि के सापेक्ष परिषद को देय किश्तों एवं अन्य मदों के सापेक्ष वांछित शुल्क का भुगतान अद्यावधिक किया जा रहा हो। उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण की दशा में निर्माण से पूर्व मानचित्र समयवृद्धि व सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, गाजियाबाद से समयवृद्धि प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
15. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी पत्रांक-UPFS/2022/68282/GZB/GHAZIABAD/4347/JD दिनांक-09.12.2022 द्वारा औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत की गयी है, जिसकी शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गाजियाबाद से अंतिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
16. निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2018 में निहित प्रविधानों के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
17. भवन निर्माण व उसके सापेक्ष ई०डब्ल्यू०एस० / एल०आई०जी० व सामुदायिक सुविधाओं के पूर्ण होने की दशा में आवंटी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
18. भूखण्ड पर मानचित्र के अनुसार विकास हेतु सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, गाजियाबाद-2, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, को विकास कार्य प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले स्वीकृत ले-आउट की प्रति सहित देनी होगी।
19. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भूमि में हो रहे विकास एवं निर्माण कार्य से क्षेत्र / भूखण्ड अध्याशियों / निवासियों को कोई कठिनाई हो रही है तब उसे रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र/ले-आउट का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके। भूमि के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
21. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित/प्रस्तावित वृक्षों के रख रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था भू-स्वामी/फर्म/विकासकर्ता/RWA द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
22. स्वीकृत ले-आउट के अनुसार समस्त आंतरिक विकास एवं निर्माण कार्य भू-स्वामी/फर्म द्वारा स्वयं किये जायेंगे।
23. उक्त मानचित्र पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथासंशोधित 2018 के समस्त प्राविधान लागू होंगे।
24. मानचित्र निर्गत करने के उपरान्त भी परिषद के पक्ष में किसी प्रकार के शुल्क की देयता बनती है तो भू-स्वामी/ फर्म द्वारा देय होगी।
25. शासनादेश के अनुसार कम से कम 50 पेड़/हैक्टे० की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
26. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
27. शासनादेश के अनुसार सोलर पैंसिव पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।

28. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनदेश संख्या-570-9-आ-2001(भूकम्परोधी /2001/(आ0बा0) दिनांक-03.02.2001 एवं सं0-3751/9-आ-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-20.07.2001 के अन्तर्गत शर्तों का अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
29. वैधता अवधि के उपरान्त निर्माण जारी रखे जाने की दशा में वैधता अवधि में ही नियमानुसार परिषद से मानचित्र वैधता अवधि की ऑनलाईन समयवृद्धि प्राप्त की जानी होगी, अन्यथा की स्थिति में परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
30. स्थल पर स्वीकृति से भिन्न निर्माण की दशा में निर्माण को अनाधिकृत मानते हुये परिषद नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
31. आवास आयुक्त के कार्यालय आदेश संख्या-2089 /मु०वा०नि० दिनांक-03.09.2020 के अनुसार मलबा शुल्क की धनराशि का एफ०डी०आर० (राष्ट्रीय बैंक से निर्गत) सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक कराते हुये खण्ड कार्यालय में जमा किया गया हो, जिसके अवधि के उपरान्त नवीनीकरण का दायित्व सम्बंधित खण्ड कार्यालय का होगा। जिसे पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अवमुक्त किया जायेगा।
32. प्रश्नगत भूखण्ड पर शासनादेशों/परिषद आदेशों, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं अन्य सम्बंधित नीतिविषयक निर्णयों का शर्त प्रतिशत पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश एवं परिषद कार्यालय आदेश मान्य होंगे।
- उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में नियमानुसार मानचित्र निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
04-06-24
(डा० बलकार सिंह)
आवास आयुक्त

पृ0सं0-

/उक्त /

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी कॉम्पलेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ।
2. वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-5, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी कॉम्पलेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता-गाजियाबाद वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्पलेक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
4. उप आवास आयुक्त, मेरठ जोन मेरठ, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्पलेक्स, शास्त्रीनगर मेरठ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-गाजियाबाद-02, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्पलेक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
6. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा कॉम्पलेक्स, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि अपने से सम्बंधित शर्तों के क्रम में कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वैशाली, सेक्टर-01, निकट- मैक्स हास्पिटल, गाजियाबाद।
8. उप श्रमायुक्त, लेबरसेस कार्यालय, लोहियानगर, गाजियाबाद।
9. पर्यावरण निदेशालय, आई.एन.एस., सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
10. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 19/226, सत्यम, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

आवास आयुक्त

For Prateek Realtors India Pvt. Ltd.